

राजस्थान सरकार



सत्यमेव जयते

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक ०५/नागौर/2013-2014

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री. अशोक शेज्जुकेशन संस्थान रबीबसर
जिला नागौर का राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958
(राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया ।
यह प्रमाण पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज दिनांक ५४ माह अप्रैल
सन् दो हजार तेरह को नागौर में दिया गया ।



२
रजिस्ट्रार संस्थान
रजिस्ट्रार संस्थाए